29.10.24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा पर बहस सुनी गई प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाने का वकील वादी के निवेदन करने पर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली वास्ते फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद संख्या :– 87 / 2019

1–छीतर पिता देबीलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
1 / 1– गणेश पिता छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
1 / 2– मुकेश पिता छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
1 / 3– मंजू पिता छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
1 / 4– फौरूबाई पत्नी छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2–नोजीबाई पिता देबीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. भँवरलाल पिता मोडा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. लक्ष्मण पिता मोडा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3. नाराणीबाई पत्नी स्व0 मोडा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4. नानालाल पिता पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
5. लीलाशंकर पिता पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
6. शंकरी पिता पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
7. मोहनीबाई पत्नी स्व0 पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
8. बद्रीलाल पिता कूका धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
9. गोंपाल लाल पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
10. मदनलाल पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
11. कांताबाई पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
12. प्रेमबाई पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
13. उदी पत्नी बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
14. हरलाल पिता चम्पा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
15. शंभू पिता चम्पा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
16. उदा पिता खेमा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
17. प्रेमा पिता किशना धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
18. प्रभू पिता किशना धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
19. गोपाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
20. शांतिलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
21. कमला पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
22. लीला पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
23. सोहनी पत्नी कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
24. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :– 29.10.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि मौजा ठुकराई प0ह0 ठुकराई तह0 बेगूँ की वर्तमान खतौनी सम्वत 2072–75 खाता सं0 491 में आराजी संख्या 579 रकबा 1.2790 हैक्टर भूमि मोडा कूका पिता धीसा हरलाल शंभू पिता चम्पा हिस्सा 3 / 10 उदा पिता खेमा हि0 1 / 10, प्रेमा प्रभू पिता किशना हिस्सा 1 / 10, हि0ब0 छीतर नोजीबाई पिता देबीलाल हिस्सा 1 / 4, गोपाल शांतिलाल कमला लीला पिता कन्हैयालाल सोहनी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल हिस्सा 1 / 4 सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4 होकर इसी अनुसार वादी के मौके पर अर्सा कदीम से स्वतंत्र कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है जिसमें वादी ने काफी अंग महनत एवं राशि व्यय कर जमीन में सुधार करा रखा है। इसी प्रकार सभी प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्सेनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर पृथक पृथक मौके पर काबिज हो पृथक पृथक काश्त कर रहे है।

यह कि दर्ज खातेदार मोडा एवं कूका का देहावसान हो चुका है, जिनकी विरासत का इस खाता में अंकन नहीं हुआ है। प्रतिवादी0 सं0 1 से 7 मोडा के व प्रतिवादी सं0 8 से 13 कूका के वारिसान है, जिन्हें उनके स्थान पर पक्षकार बनाया गया है, इनके अलावा इनके और कोई वारिस नहीं है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.05.2019 को प्रतिवादी सं0 1 से 13 को तहसील कार्यालय मे चलकर खाता सही करा मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई ।

यह कि वादीगण उक्त वर्णित मौजा ढुकराई की आराजी संख्या 579 रकबा 1.2790 हैक्टर भूमि में अपना निहित हक हिस्सा 1/4 को जरिये विभाजन मौके पर काबिज अनुसार पृथक करा स्वतंत्र खातेदार में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है। वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वाद कारण दिनांक 12.05.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा कराने हेतु मना किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। भूमिधारी प्रतिवादी सं0 24 विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें वाद में पक्षकार बनाये गये है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :—

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित मौजा ढुकराई की आराजी संख्या 579 रकबा 1.2790 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/4 मौके पर काबिज अनुसार जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा इस विभाजन के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण मे वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी मे शपथ पत्र वादी मुकेश पिता छीतर का प्रस्तुत होकर उनके द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयानो को कलमबद्ध कराया गया तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा आदेश होने से जिरह व पुनः परीक्षण निल रहा है। इस प्रकार वादपत्र में वादीगण की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवकता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, जिन्होने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए दस्तावेज में अंकित वाद वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन काबिज अनुसार किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है।

हमारे द्वारा बहस अधिवकता वादीगण की एक तरफा सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा ढुकराई सं0 2072 से 75 प्रदर्श—1 एवं नक्शाट्रेस आराजी प्रदर्श—2 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी मौजा ढुकराई प0ह0 ढुकराई की आराजी संख्या 579 रकबा 1.2790 हैक्टर भूमि श्री मोडा कूका पिता धीसा हरलाल शम्भु पिता चम्पा हि. 3/10, उदा पिता खेमा हि.1/10, प्रेमा प्रभु पिता किशना हि. 1/10, हि.ब.छीतर गोजीबाई पिता देवीलाल हि. 1/4 कन्हैयालाल पिता उंकार हि. 1/4 जाति धाकड सा.देह खातेदार दर्ज है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

बंदी में नोट अंकित है कि ना.सं. 2425 दि.दि. 22.12.2016 रहननामा में रहन ब.रा.ग्रा. बैंक शाखा कराई दि. छीतर व नोजीबाई पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई। साथ ही नोट अंकित है कि ना.सं. 2505 दि.दि. 21.09.2016 विरासत से कन्हैयालाल पिता ऊंकार के बजाय गोपाल शांतिलाल कमला लीला पिता कन्हैयालाल सोहनी पत्नि स्व. कन्हैयालाल दर्ज करने की स्वीकृती हुई है। नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया है कि वादीगण का हिस्सा वर्णित आराजीयात में 1/4 अंकित है, जिसका वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने एवं प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा ठुकराई पटवार ठुकराई की आराजी संख्या 579 रकबा 1.2700 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/4 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौके पर काबिज अनुसार भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मौदुवा पुख्त बारम्बुत अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/- अक्षरे पन्द्रह सौ रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वह आराजी का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने हेतु कमिश्नर शुल्क वादीगण से 1500/-रूपये प्राप्त कर भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक 4127 दिनांक 06.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री गणेश, मुकेश, मंजू, पिता छीतर फौरीबाई पत्नी छीतर, नोजीबाई पिता देवीलाल धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
579 मेसे	0.3200		2.18
कीता– 0	0.3200 हैक्टर		2.18

1– उदा पिता खेमा धाकड 2/15 निवासी ठुकराई तह0 बेगूं
2– कोशल्या पिता हरलाल धाकड 1/45 सा. देह
3– मोहनलाल पिता हरलाल धाकड 1/45 सा. देह
4– लक्ष्मीबाई पत्नी हरलाल धाकड 1/45 सा. देह
5– कमला पत्नी कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
6– गोपाललाल पिता कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
7– लीला पुत्री कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
8– शांतिलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
9– सोहनीबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
10– गोपाललाल पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

मबाई पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
– मदनलाल पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
13– कांताबाई पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
14– उदी पत्नी बाललालू धाकड 1/75 सा. देह
15– प्रभु पिता किशन धाकड 1/15 सा. देह
16– प्रेम पिता किशन धाकड 1/15 सा. देह
17– बदीलाल पिता कुका धाकड 1/15 सा. देह
18– मोडा पिता धीसा धाकड 2/15 सा. देह मृतक के बजाय :–
18/1 भैंवरलाल पिता मोडा धाकड
18/2 लक्ष्मण पिता मोडा धाकड
18/3 नाराणीबाई पत्नी स्व0 मोडा धाकड
18/4 नानालाल पिता पन्नालाल धाकड
18/5 लीलाशंकर पिता पन्नालाल धाकड
18/6 शंकरी पिता पन्नालाल धाकड
18/7 मोहनीबाई पत्नी स्व0 पन्नालाल धाकड
19– शंभू पिता चम्पा धाकड 1/15 सा. देह

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
579 मेसे	0.9590		6.54
कीता– 01	0.9590 हैक्टर		6.54

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :— 87/2019

1— छीतर पिता देबीलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
1/1— गणेश पिता छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
1/2— मुकेश पिता छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
1/3— मंजू पिता छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
1/4— फौरूबाई पत्नी छीतर धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2— मोजीबाई पिता देबीलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1—भँवरलाल पिता मोडा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2—लक्ष्मण पिता मोडा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3—नाराणीबाई पत्नी स्व0 मोडा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4—नानालाल पिता पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
5—लीलाशंकर पिता पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
6—शंकरी पिता पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
7—मोहनीबाई पत्नी स्व0 पन्नालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
8—बद्रीलाल पिता कूका धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
9—गोंपाल लाल पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
10—मदनलाल पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
11—कांताबाई पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
12—प्रेमबाई पिता बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
13—उदी पत्नी बालू धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
14—हरलाल पिता चम्पा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
15—शंभू पिता चम्पा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
16—डदा पिता खेमा धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
17—प्रेमा पिता किशना धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
18—प्रभू पिता किशना धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
19—गोपाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
20—शांतिलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
21—कमला पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
22—लीला पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
23—सोहनी पत्नी कन्हैयालाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
24—तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ
प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा .53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.10.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता है:—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

श्री गणेश, मुकेश, मंजू, पिता छीतर फौरीबाई पत्नी छीतर, नोजीबाई पिता देवीलाल धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
579 मेसे	0.3200		2.18
कीता– 0	0.3200 हैक्टर		2.18

1– उदा पिता खेमा धाकड 2/15 सा. देह
2– कोशल्या पिता हरलाल धाकड 1/45 सा. देह
3– मोहनलाल पिता हरलाल धाकड 1/45 सा. देह
4– लक्ष्मीबाई पत्नी हरलाल धाकड 1/45 सा. देह
5– कमला पिता कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
6– गोपाललाल पिता कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
7– लीला पुत्री कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
8– शांतिलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
9– सोहनीबाई पत्नी कन्हैयालाल धाकड 1/15 सा. देह
10– गोपाललाल पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
11– प्रेमबाई पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
12– मदनलाल पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
13– कांताबाई पिता बालूलाल धाकड 1/75 सा.देह
14– उदी पत्नी बाललालू धाकड 1/75 सा. देह
15– प्रभु पिता किशन धाकड 1/15 सा. देह
16– प्रेम पिता किशन धाकड 1/15 सा. देह
17– बद्रीलाल पिता कुका धाकड 1/15 सा. देह
18– मोडा पिता घीसा धाकड 2/15 सा. देह मृतक के बजाय :–
18/1 भॅवरलाल पिता मोडा धाकड
18/2 लक्ष्मण पिता मोडा धाकड
18/3 नाराणीबाई पत्नी स्व0 मोडा धाकड
18/4 नानालाल पिता पन्नालाल धाकड
18/5 लीलाशंकर पिता पन्नालाल धाकड
18/6 शंकरी पिता पन्नालाल धाकड
18/7 मोहनीबाई पत्नी स्व0 पन्नालाल धाकड
19– शंभू पिता चम्पा धाकड 1/15 सा. देह

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
579 मेसे	0.9590		6.54
कीता– 01	0.9590 हैक्टर		6.54

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 87/2019 व अनवान छीतर बनाम भंवरलाल व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)